प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति सं 784/2018

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय शिव मोहन भवन, विधान सभा रोड, पंडरी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001 (ट्रक नं. C.G.14-A/0299), जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

---**अपीलकर्त्ता**

बनाम

1 – पुनाई राम पिता स्वर्गीय मणि राम , 60 वर्ष का व्यवसाय गृहिणी, निवासी ग्राम पुतरीचौरा, तहसील तथा निवासी जशपुर, छत्तीसगढ़, जिला:जशपुर, छत्तीसगढ़

2–श्रीमती. अंजनी बाई पति स्वर्गीय प्रकाश भागर , 32 वर्ष ,पिता सीता राम भगत, निवासी पुतरीचौरा, तहसील तथा निवासी जशपुर, छत्तीसगढ़ (दावेदार), जिला :जशपुर, छत्तीसगढ़

3 – नथानी सिंह पिता कन्हैया सिंह एफ. सी.आई गोडाउन रोड,, जशपुर नगर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ (ट्रक नं. C.G.14-A/0299), जिलाःजशपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----**उत्तरवादीगण**

अपीलार्थी हेतु :––श्री संगीत कुमार कुशवाहा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 तथा 2 हेतु :––श्री ऋषिकांत महोबिया, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

1. यह दावा प्रकरण क्रमांक 101/2015 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जशपुर (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 11.12.2017 के निर्णय के विरुद्ध बीमाकर्ता की अपील है।

2. मृतक प्रकाश भगत की 14.12.2007 को मृत्यु के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा आवेदन दायर करके उत्तरवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दावा किए गए 32,25,000/– रुपये के

क्षतिपूर्ति के विरुद्ध न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विरुद्ध दावेदारों (उत्तरवादी संख्या 1 और 2) के पक्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 6,23,960/– रुपये का क्षतिपूर्ति दिलाया।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतक 13.12.2017 को क्लीनर अमित कुमार सिंह के साथ उत्तरवादी संख्या 3 के स्वामित्व वाले ट्रक संख्या CG 14 A 0299 पर एल्युमिनियम लोड करके कोरबा से बोकारो जा रहा था।जब वे रात के लगभग 12 बजे चुडुपालु घाटी के 6 से 7 किलोमीटर अंदर पहुंचे।उस समय कुछ समय के लिए एक रंगीन मार्शल ने आक्षेपित वाहन को पीछे छोड़ दिया तथा ट्रक को रोक दिया तथा कहा कि वे आरटीओ रांची से आए थे तथा ट्रक में एल्यूमीनियम के बारे में पूछताछ की।उन्होंने बलपूर्वक प्रकाश तथा अमित को मार्शल में बिठाया तथा मार्शल को रामगढ़ की ओर भगा दिया।कुछ समय तक रांची में भटकने के पश्चात् वे मार्शल को टाटा रोड ले गए तथा मृतक प्रहेतुश भगत तथा अमित कुमार सिंह को गोली मार दी तथा उन्हें बुंडू घाटी में फेंक दिया।

4. अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है, जो अभिलेख पर तथ्यों, परिस्थितियों तथा साक्ष्य के विपरीत है तथा विधि में त्रुटिपूर्ण है।विद्वत न्यायाधिकरण को दावा आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था क्योंकि यह विचारणीय नहीं था क्योंकि अभिकथित घटना आक्षेपित वाहन के उपयोग के दौरान नहीं हुई थी।विद्वान न्यायाधिकरण ने इस बात की सराहना नहीं की कि मृतक की हत्या कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी सं . 1 तथा 2/दावेदारों हेतु विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालांकि मृतक की हत्या अज्ञात डकैतों द्वारा की गई थी, परंतु उक्त घटना वाहन के उपयोग के दौरान हुई थी।इसलिए, यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आता है।

6. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

7. दुर्घटना का अर्थ है वह घटना जिसकी अपेक्षा न की गई हो या जिसकी योजना न बनाई गई हो या किसी अप्रत्याशित दुर्घटना या घटना के परिणामस्वरूप कोई अप्रत्याशित व्यक्तिगत चोट लगना।

8. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या किसी मामले में हत्या दुर्घटना हो सकती है?माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कमलेश एवं अन्य मामले में 9 अगस्त, 2017 को निर्णय दिया कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि "हत्या", जैसा कि इसे आम बोलचाल में समझा जाता है, एक जघन्य कृत्य है, जिसमें जान से मारने की मंशा होती है और उस कृत्य के अपराधियों के पास आमतौर पर पीड़ित के विरुद्ध एक ऐसी हत्या का उद्देश्य होता है।परंतु ऐसे उदाहरण भी हैं जहां तथ्यों के एक समूह पर हत्या दुर्घटना से हो सकती है।

"हत्या जो दुर्घटना नहीं है" और "हत्या जो दुर्घटना है" के बीच का अंतर ऐसी हत्या के कारण की निकटता पर निर्भर करता है। हमारी राय में, यदि गुंडागर्दी के कृत्य का प्रमुख उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति को मारना है, तो ऐसी हत्या आकस्मिक हत्या नहीं है, बल्कि एक सरल हत्या है, जबकि यदि हत्या या हत्या के कृत्य का मूल उद्देश्य नहीं था और वह किसी अन्य गुंडागर्दी के कृत्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, तो ऐसी हत्या आकस्मिक हत्या है।हमारी राय में, यदि गुंडागर्दी के कृत्य का प्रमुख उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति की हत्या करना है, तो ऐसी हत्या आकस्मिक हत्या नहीं है, बल्कि यह एक सरल हत्या है, जबकि यदि हत्या या हत्या के कृत्य का मूल उद्देश्य नहीं था और यह किसी अन्य गंभीर कृत्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, तो ऐसी हत्या एक आकस्मिक हत्या है।यदि प्रमुख आशय डकैती था, तो यह आकस्मिक नहीं, बल्कि एक सरल हत्या थी। यदि 'हत्या का कृत्य' मूल उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह किसी गंभीर कृत्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, तो ऐसी हत्या एक आकस्मिक हत्या है।यदि 'हत्या का कार्य' मूल रूप से आशय नहीं था, बल्कि यह किसी भी गंभीर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, तो ऐसी हत्या एक आकस्मिक हत्या है।"

9.वर्तमान प्रकरण में, डकैतों का मुख्य आशय एल्युमीनियम से लदे ट्रक को लूटना था और अपने मुख्य आशय को पूरा करने के लिए उन्होंने मृतक को गोली मार दी। अत:, यह हत्या केवल हत्या नहीं थी, बल्कि यह आकस्मिक हत्या थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर आती है कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं/बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति देने का दायित्व उचित ढंग से लगाया है।

11.तदनुसार, वर्तमान अपील गुण–दोष के आधार पर खारिज की जाती है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur